

॥ कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिवपुरी, म.प्र. ॥

॥ आ दे श ॥

क्रमांक : 483/दो-11-04/10

शिवपुरी,दिनांक: 25/11/2021

श्रीमती कल्पना देवी, भृत्य नजारत अनुभाग पिछोर जिला शिवपुरी का दिनांक 13.12.21 से 17.12.21 तक कुल 05 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश काल में इनका पद रिक्त रहेगा।

अर्जित अवकाश स्वीकृति पश्चात् अवकाश लेखा में 288 दिवस का स्वत्व शेष है।

सही / -


प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,  
शिवपुरी, म0प्र0।

पृष्ठां.क्रमांक : 01/3696...../दो-11-04/10

शिवपुरी,दिनांक: 26./11/2021

प्रतिलिपि यथानिर्देशित :-

1. प्रभारी अधिकारी नजारत अनुभाग पिछोर जिला शिवपुरी।
2. श्रीमती कल्पना देवी, भृत्य नजारत अनुभाग पिछोर जिला शिवपुरी।
3. लेखापाल, लेखा-अनुभाग जिला न्यायालय शिवपुरी की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. जूनियर सिस्टम एनालिस्ट, जिला न्यायालय शिवपुरी की ओर सूचनार्थ प्रेषित कर लेख है कि संबंधित कर्मचारी को ई-मेल आई-डी के माध्यम से सूचित करें।

  
प्रशासनिक अधिकारी

कार्या. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
✓ शिवपुरी म.प्र.।

॥ कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिवपुरी, म.प्र. ॥

॥ आ दे श ॥

क्रमांक:-481/दो-11-06/07

शिवपुरी,दिनांक :- 25/11/2021

श्रीमती रमा गोयल, प्रस्तुतकार, न्यायालय तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड शिवपुरी का दिनांक 08.11.21 का आकस्मिक अवकाश निरस्त किया जाकर अवकाश लेखा में जोडा जाना तथा दिनांक 08.11.21 से 17.11.21 तक कुल 10 दिवस का लघुकृत अवकाश, जो उनके अर्द्धवैतनिक अवकाश लेखे से द्विगुणित मात्रा में विकलनीय होगा, स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश काल में इनका पद रिक्त रहा।

लघुकृत अवकाश स्वीकृति पश्चात् अवकाश लेखा में 310 दिवस का स्वत्व शेष है।

सही/-


प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,  
शिवपुरी,म0प्र0।

पृष्ठां.क्रमांक:-8/3695...../दो-11-06/07

शिवपुरी,दिनांक :-26./11/2021

प्रतिलिपि यथानिर्देशित :-

1. न्यायालय तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड शिवपुरी।
2. श्रीमती रमा गोयल, प्रस्तुतकार, न्यायालय तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड शिवपुरी।
3. लेखापाल, लेखा-अनुभाग जिला न्यायालय शिवपुरी की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. जूनियर सिस्टम एनालिस्ट, जिला न्यायालय शिवपुरी की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

  
31 प्रशासनिक अधिकारी  
कार्या. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
शिवपुरी म.प्र.।

॥ कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिवपुरी, म.प्र. ॥

॥ आ दे श ॥

क्रमांक : 482/दो-06-04/11

शिवपुरी,दिनांक: 25/11/2021

श्री अशोक कुमार बाथम, भृत्य न्याया. अति. व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 करैरा जिला शिवपुरी का दिनांक 22.11.21 से 03.12.21 तक कुल 12 दिवस का अर्जित अवकाश एवं मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश काल में इनका पद रिक्त रहेगा।

अर्जित अवकाश स्वीकृति पश्चात् अवकाश लेखा में 203 दिवस का स्वत्व शेष है।


सही/-  
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,  
शिवपुरी, म0प्र0।

पृष्ठां.क्रमांक B/3692 /दो-06-04/11

शिवपुरी,दिनांक: 26 /11/2021

प्रतिलिपि यथानिर्देशित :-

1. न्याया. अति. व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 करैरा जिला शिवपुरी।
2. श्री अशोक कुमार बाथम, भृत्य न्याया. अति. व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 करैरा जिला शिवपुरी।
3. लेखापाल, लेखा-अनुभाग जिला न्यायालय शिवपुरी की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. जूनियर सिस्टम एनालिस्ट, जिला न्यायालय शिवपुरी की ओर सूचनार्थ प्रेषित कर लेख है कि संबंधित कर्मचारी को ई-मेल आई-डी के माध्यम से सूचित करें।

  
प्रशासनिक अधिकारी  
कार्या. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
शिवपुरी म.प्र.।